>

Title: Need to ensure construction of roads under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana in Simri Bakhtiyarpur and Itahari blocks of Saharsa district, Bihar as per specified norms.

श्री दिनेश चन्द्र यादव (खगड़िया): बिहार राज्य अंतर्गत सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर एवं बनमा ईटहरी प्रखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी0एम0जी0एस0वाई0) अंतर्गत निम्नलिखित योजनाओं के निर्माण में भारी अनियमितता बरती गई है। डीपीआर के अनुसार कोई भी कार्य किया ही नहीं गया है। निर्माण में संवेदक द्वारा जीएसवी में बालू की मात्रा डीपीआर में दिए गए प्रावधान से ज्यादा मिलाई गई है एवं बालू में 75 प्रतिशत मिट्टी का अंश है। पीसीसी निर्माण में भी घटिया गिट्टी, बालू एवं सीमेंट व्यवहार में लाया गया है जिसके कारण पीसीसी सड़क टूट रहा है। सड़क के बीचो-बीच खोदने से कहीं भी डीपीआर के अनुरूप थिकनेस नहीं है। सड़क में नाला एवं फलेंक का निर्माण नहीं किया गया है। पुले के फाउंडेशन की मोटाई कम कर घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है।

आग्रह है कि पीएमजीएसवाई पैकेज सं0- 47 MDR TO1 से तेघरा, पीएमजीएसवाई पैकेज सं0-48 MDR TO1 से मटिहानी, पीएमजीएसवाई पैकेज स0-61 डेनिया टोला से पी.डब्ल्यू.डी. रोड एवं पीएमजीएसवाई पैकेज सं0- 46 MDR TO4 से नया टोला, के पथों में संवेदक द्वारा घटिया सामग्री के उपयोग एवं अनियमितता की जांच मंत्रालय के किसी वरीय तकनीकी पदाधिकारी से कराकर सरकारी राशि की लूट एवं डी.पी.आर. के अनुसार कार्य न करने एवं घटिया निर्माण कर विकास कार्य को अवरूद्ध करने वाले संवेदक पर सख्त कार्रवाई करने की कृपा की जाए।